



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03122024-259122  
CG-DL-E-03122024-259122

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4800]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 2, 2024/अग्रहायण 11, 1946

No. 4800]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 2, 2024/AGRAHAYANA 11, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5192(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(i) श्री आशुतोष - अध्यक्ष;

ए-18 ,9वीं मंजिल, श्रीराम हाइट्स,  
एमआईटी कालेज के नजदीक, कोथुड ,  
पुणे-411038 (महाराष्ट्र)

(ii) श्री सुधीर कुमार कर्न, - सदस्य; और

जी,सेल सिटी ,बी13  
रांची-8 34007(झारखंड)

- (iii) संरक्षक-सह-अपर सचिव,, - सदस्य-सचिव।  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग,  
बिहार सरकार, भूतल, सिंचाई भवन,  
पटना, बिहार

2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
3. प्राधिकरण, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट हैं।
4. प्राधिकरण, अपने विनिश्चय बिहार राज्य के लिए पैरा 6 के अधीन गठित राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की सिफारिशों के आधार पर करेगा।
5. प्राधिकरण के सभी विनिश्चय बैठक में और साधारणतया सर्वसम्मति से लिए जाएंगे :  
परंतु यदि विनिश्चय बहुमत से लिया जाता है तो कार्यवृत्त में उसके लिए और उसके विरुद्ध विस्तृत विचारों को स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया जाएगा और उनकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेजी जाएगी।
6. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण की सहायता के प्रयोजन के लिए बिहार राज्य सरकार के परामर्श से राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, बिहार (जिसे इसमें इसके पश्चात समिति कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:--

- (i) श्री अरविन्दर सिंह - अध्यक्ष;  
फारेस्ट बंगला सं. 3,  
शहीद पीर अली खान मार्ग (राइडिंग रोड),  
अरण्या भवन, पटना-800014 (बिहार)
- (ii) श्री ललन प्रसाद सिंह - सदस्य;  
एनओबीए नगर, फेस-2,  
खोजई इमली मजार, फुलवारी शरीफ,  
पटना-801505 (बिहार)
- (iii) डॉ. नित्यानंद सिंह मौर्य - सदस्य;  
नं. 002, टाइप 4 क्वार्टर,  
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना,  
अशोक राजपथ, पटना-800005 (बिहार)
- (iv) श्री स्वामीनाथ जायसवाल - सदस्य;  
फ्लेट नं. 402, रवि रेजिडेंसी,  
नेहरू नगर, रोड नं. 2,  
थाना- पाटलीपुत्र, पटना-800013 (बिहार)
- (v) डॉ. विनीता प्रसाद - सदस्य;  
403, प्रकाश टावर,  
ब्रह्मस्थानी लेन, शेखपुरा,  
पटना-800014 (बिहार)

- (vi) डॉ. मो. नाजिम - सदस्य;  
प्रोफेसर और अध्यक्ष  
भूगोल विभाग,  
पटना विश्वविद्यालय, पटना-800005 (बिहार)
- (vii) प्रो. नवीन कुमार निश्चल - सदस्य;  
फ्लैट नं. 202, यमुना-3, जलालपुरसिटी,  
कार्यालय बैली रोड, अंबेडकर डेंटल कालेज के नजदीक,  
पटना-801503 (बिहार)
- (viii) श्री मोख्तारुल हक - सदस्य;  
301, एफ प्लाजा फेडरल कालोनी,  
हरून नगर सेक्टर-1 के पास,  
फुलवाली शरीफ, पटना-801505 (बिहार)
- (ix) सदस्य-सचिव, - सदस्य-सचिव।  
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
पटना (बिहार)
7. समिति के अध्यक्ष और सदस्य, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
8. समिति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं
9. समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।
10. हितों के टकराव से बचने के लिए-
- (i) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य तथा और समिति के अध्यक्ष और सदस्य -
- (क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन और परियोजना के प्रस्तावक से भी जुड़े हैं;
- (ख) किसी परियोजना के लिए पर्यावरणीय समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए कोई परामर्श या सहयोग नहीं लेंगे, जिनका उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण और समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया; तथा
- (ii) यदि पिछले पांच वर्षों में, प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य और समिति के अध्यक्ष या सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं या पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन आयोजित किया है, तो ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना के अंकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण या समिति की बैठक से बचेंगे।
11. बिहार राज्य सरकार, प्राधिकरण और समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को विनिर्दिष्ट करेगी और सचिवालय, वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उक्त अधिसूचना के अधीन उनके कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगा।

12. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की तथा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता बिहार राज्य सरकार के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

[फा.सं. जे-11013/36/2008-आईए.II(I)]

अमनदीप गर्ग, अपर सचिव

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2024

**S.O. 5192(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Bihar (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following Members, namely: —

- |                                                                                                                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (i) Shri Ashutosh<br>A-18, 9 <sup>th</sup> Floor, Shreeram Heights,<br>Near MIT College, Kothrud,<br>Pune-411038 (Maharashtra)                                         | - Chairman;         |
| (ii) Shri Sudhir Kumar Karn,<br>G13B, Sail City,<br>Ranchi-834007 (Jharkhand)                                                                                          | - Member; and       |
| (iii) Conservator-cum-Additional Secretary,<br>Environment, Forest and Climate Change Department<br>Government of Bihar, Ground Floor, Sinchai Bhawan, Patna,<br>Bihar | - Member Secretary. |

2. The Chairman and Members of the Authority shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority shall exercise such powers and follow such procedures specified in the said notification.

4. The Authority shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 6 for the State of Bihar.

5. All decisions of the Authority shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous:

Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to the Central Government.

6. The Central Government, in consultation with the State Government of Bihar, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Bihar (hereinafter referred to as the Committee), comprising of the following Members, namely:—

- |                                                                                                                                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (i) Shri Arvinder Singh<br>Forest Bungalow No.3,<br>Shaheed Peer Ali Khan Marg (Riding Road), Aranya<br>Bhawan Patna, 800014 (Bihar). | - Chairperson; |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

- |        |                                                                                                                                                |                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (ii)   | Shri Lalan Prasad Singh<br>NOBA Nagar, Phase-2,<br>Khojai Imli Mazaar, Phulwari Sharif,<br>Patna-801505(Bihar).                                | - Member;           |
| (iii)  | Dr. Nityanand Singh Maurya<br>No.002, Type IV Quarter,<br>National Institute of Technology Patna,<br>Ashok Rajpath, Patna-800005 (Bihar)       | - Member;           |
| (iv)   | Shri Swami Nath Jayaswal<br>Flat No.402, Ravi Residency,<br>Nehru Nagar, Road No.2,<br>PS-Patliputra, Patna-800013 (Bihar).                    | - Member;           |
| (v)    | Dr. Vinita Prasad<br>403, Prakash Tower,<br>Brahamasthani lane, Sheikhpura,<br>Patna-800014 (Bihar).                                           | - Member;           |
| (vi)   | Dr. Md. Nazim<br>Professor & Head<br>Department of Geography,<br>Patna University, Patna-800005 (Bihar).                                       | - Member;           |
| (vii)  | Prof. Naveen Kumar Nishchal<br>Flat No.202, Yamuna -3, Jalalpurcity,<br>Off Bailey Road, Near Ambedkar Dental College<br>Patna-801503 (Bihar). | - Member;           |
| (viii) | Shri Mokhtarul Haque<br>301, F Plaza Federal Colony<br>Adjacent to Haroon Nagar Sector-1,<br>Phulwari Sharif, Patna-801505 (Bihar).            | - Member;           |
| (ix).  | Member Secretary,<br>Bihar State Pollution Control Board,<br>Patna (Bihar).                                                                    | - Member Secretary. |

7. The Chairperson and Members of the Committee, shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
8. The Committee shall exercise such powers and follow such procedure specified in the said notification.
9. The Committee shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

10. In order to avoid any conflict of interest,—

(i) the Chairman and Members of the Authority, and the Chairperson and Member of the Committee shall,—

(a) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which is to be decided by the Authority or to be appraised by the Committee during their tenure; and

(ii) if the Chairman or any Member of the Authority or the Chairperson or Member of the Committee has provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent during the preceding five years, in that event they shall recuse themselves from the meetings of the Authority, or the Committee in the process of appraisal of any project proposed by such proponents.

11. The State Government of Bihar shall specify an agency to act as Secretariat for the Authority and the Committee and the Secretariat shall provide financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification.

12. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority and the Chairperson or Member of the Committee, shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the State Government of Bihar.

[F. No. J-11013/36/2008-IA.II(I) ]

Amandeep Garg, Addl Secy.